

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

राजस्थान (राज्य) के 11-दौसा (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री मुरारी लाल मीना

सोमनाथ नगर द्वितीय वार्ड न. 35 दौसा 303303

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान:- दौसा

तारीख:- 04-06-2024

Desendra
(देवेन्द्र कुमार)

रिटर्निंग अधिकारी

11-दौसा (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

**Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951
Election to the House of the People from the 11-Dausa (ST) Parliamentary constituency in the
Rajasthan (State).**

**In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People
Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—**

Shri . MURARI LAL MEENA

Somnath Nagar Second, Ward No. 35 Dausa-303303

**sponsored by Indian National Congress has been duly elected to fill the seat in that House
from the above constituency.**

Place :- Dausa

Dated:- 04-06-2024

Devendra
(Devendra Kumar)
Returning Officer

**11-Dausa (ST) Parliamentary Constituency
District Collector and District Magistrate, Dausa**